भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2351

दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

समुद्री खाद्य पदार्थ, कॉयर और काजू का निर्यात

2351: एडवोकेट ए.एम. आरिफः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वित्तीय वर्षों में देश से समुद्री खाद्य पदार्थ (सी–फूड), कॉयर और काजू के निर्यात का ब्यौरा और मूल्य क्या है;

(ख) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि देश से समुद्री उत्पाद की खेप चीन सहित आयातक देशों द्वारा उन देशों में वित्तीय संकट के कारण अस्वीकार की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समुद्री उत्पाद निर्यातकों जिनकी पूर्व–सहमति वाली खेपों को आयात करने वाले देशों द्वारा बिना कोई कारण बताए लेने से मना कर दिया गया है, को राहत प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का निर्यातोन्मुख उद्योगों में आधारभूत श्रमिकों के कल्याण हेतु विदेशी निर्यात से प्राप्त आय का एक निश्चित प्रतिशत उपयोग करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क): पिछले पांच वर्षों में समुद्री उत्पाद/सी–फूड भोजन, कॉयर और काजू के निर्यात का वर्षवार मूल्य इस प्रकार हैः

अमरीकी मिलियन डालर में मूल्य

वस्तुएं	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
समुद्री उत्पाद/सी–फूड	7389.22	6802.56	6722.07	5962.39	7772.36
कॉयर और कॉयर विनिर्मिति	325.77	327.38	340.42	476.63	569.00
काजू	922.41	654.43	566.82	420.43	453.08

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस

(ख) और (ग): चीन सहित आयातक देशों द्वारा भारत से समुद्री उत्पादों की खेपों को अस्वीकार कर दिया गया है।

आयात करने वाले देश के विनियमों का प्रत्यक्ष रूप से अनुपालन न करने के कारण अस्वीकृतियां की जाती हैं। सरकार में सक्षम एजेंसियां जैसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), इकाइयों के निलंबन, उच्च परीक्षण आवश्यकताओं जैसे रद्द करने के उपाय करने हेतु सुविधा प्रदान करती हैं, यदि वे आयात करने वाले देशों द्वारा लागू किए जाते हैं।

(घ): विदेशी निर्यात से आय निर्यातकों को उपार्जित होती है और सरकार इस आय से खर्च नहीं करती है। हालांकि, 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)' उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना, पता लगाने की क्षमता आदि में महत्वपूर्ण कमियों का समाधान करती है। इसके अलावा, मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्रों की महत्वपूर्ण अवसंरचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और निजी क्षेत्र को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 7522.48 करोड़ रुपये की कुल निधि के साथ मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) की स्थापना की है।

*****